

गुलामी और मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों

संयुक्त राज्य अमेरिका और इलिनोइस कानून
के तहत संरक्षित हैं



यदि आपको या आपके किसी परिचित को:

- किसी भी गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे वह यह हो:
 - व्यावसायिक सेक्स उद्योग (खुली वेश्यावृत्ति, स्ट्रिप क्लब, मसाज पार्लर, एस्कॉर्ट सेवाएं, वेश्यालय, इंटरनेट),
 - प्राइवेट घरों में (घर का काम, आया, गुलामी का ववाह),
 - खेत का काम, भूनिर्माण, निर्माण,
 - फैक्ट्री (औद्योगिक, परिधान, मीट-पैकगि),
 - नगण्य समूह, भ्रष्टाचारियों का समूह, या घर-घर जाकर बिक्री करने वाला समूह
 - होटल, खुदरा, बार, रेस्तरां में काम या
 - किसी भी अन्य गतिविधि
- उनका पासपोर्ट या पहचान पत्र ले लिए गए हों
- काम ना करने पर देश से निकाले जाने (डीपोर्टेशन) की धमकी दी जा रही हो

राष्ट्रीय मानव तस्करी संसाधन केंद्र

1-888-373-7888

या 233733 पर "HELP" लिखकर
टेक्स्ट करें

सहायता और सेवाएं प्राप्त करने के लिये।

हॉटलाइन:

- 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिनों उपलब्ध है।
- टोल-फ्री है।
- गैर लाभ, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है।
- गुमनाम तथा गोपनीय है।
- 160 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है।
- सहायता, सेवाओं के लिये रेफरल, प्रशिक्षण, और साधारण जानकारी मुहैया कराने में समर्थ है।

अधिक जानकारी के लिये:

www.TraffickingResourceCenter.org

